संख्या-06/2020/64 ई-2/तेरह-2020-69/2016

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 17 जनवरी, 2020

विषयः- श्री आशीष जायसवाल द्वारा संचालित क्रासिंग क्लब रेस्टोरन्ट, माधोटांडा रोड, रेलवे क्रासिंग के पास साहूकारा पूरनपूर, पीलीभीत को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को संबोधित एवं शासन को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-501/एफ.एल.-7/बार अनुज्ञापन/बरेली, दिनांक 28-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28-12-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 23-11-2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-25464/दस-लाइसेंस-10/एफ.एल.-6-7/क्रासिंग क्लब रेस्टोरन्ट/पीलीभीत, दिनांक 06-01-2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री आशीष जायसवाल द्वारा संचालित क्रासिंग क्लब रेस्टोरन्ट, माधोटांडा रोड, रेलवे क्रासिंग के पास साहूकारा पूरनपूर, पीलीभीत को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-06/2020/64(1)ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-25464/दस-लाइसेंस-10/एफ.एल.-6-7/क्रासिंग क्लब रेस्टोरन्ट/पीलीभीत, दिनांक 06-01-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in